स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : उपकार फाउन्डेशन।
2. संस्था का पता : ई–36, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्रः "सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश"।
4. संस्था का उद्देश्यः–

1. संस्था भारतीय जनता में स्वावलम्बन, आत्म निर्भरता, स्वतः रोजगार, आत्मसम्मान, राष्ट्रीय भाई–चारा, आपसी प्रेम साम्प्रदायिक सौहार्द्र की भावना जागृत करना।
2. समाज के उत्थान की दृष्टि से शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना। क्रेश व कन्डेन्स कोर्स, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रौढ शिक्षा केन्द्र तथा वास्तविक शिक्षा केन्द्र चलाना।
3. संस्था द्वारा जनता में नैतिक, शैक्षिक, चारित्रिक सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, रचनात्मक विकास हेतु हर सम्भव सहयोग करना व साधन सुलभ कराना।
4. सर्वसाधारण की सुविधा हेतु बालबाड़ी, आँगनबाड़ी, केन्द्रों तथा बालक एवं बालिकाओं को निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर (जिसमें नर्सरी, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर व उच्च शिक्षा व्यवसायिक) तक की शिक्षाओं को संचालित करना। बालिकाओं/महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों (जैसेः– सिलाई, कढ़ाई, कताई–बुनाई, पेटिंग, चित्रकला कढ़ाई, कताई–बुनाई, पेटिंग, चित्रकला, ब्यूटिसियन प्रशिक्षण आदि) को स्थापित कर प्रशिक्षण देना।

5. युवकों/बालकों के लिए शिल्पकला, कष्ठकला, चर्मकला, अगरबत्ती/मोमबत्ती, टाटपट्टी आदि का निर्माण। कम्प्यूटर, टाइप, टेलीविजन, ट्रॉन्जिस्टर आदि का प्रशिक्षण देना व दिलवाना। साथ ही साथ मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन व पशुपालन आदि का आयोजन करना।

6. शिक्षा वृत्ति जैसे सामाजिक अभिशाप को दूर करने के लिए भिक्षुओं को वर्क सेंटर स्थापित करना। उनकों प्रशिक्षित कर स्वालम्बन बनाना। अनुसूचित एवं पिछडी जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को कल्याणार्थ प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा बच्चों को निशुल्क एवं आवासीय सुविधा प्रदान करना।

7. संस्था खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित समस्त योजनाओं को संचालित करना व उनका प्रचार–प्रसार करना तथा खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्री करना व प्राप्त आय को चैरेटेबिल कार्यों पर व्यय करना।

8. संस्था खादी, ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग के विकास हेतु प्रशिक्षण व प्रशिक्षण केन्द्रों को स्थापित करना प्रशिक्षण देना व दिलाना।

9. संस्था जन कल्याण हेतु शिक्षण संस्थाओं, तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय,

व्यायामशाला तथा निःशुल्क चिकित्सालय आदि को स्थापित करना व उनका संचालन करना।

10. संस्था अपने क्षेत्र की महिलाओं, विधवाओं, विकलांगों, निराश्रितों, गरीबों व सैनिक विधवाओं तथा कारीगरों के बच्चों के विकास हेतु निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा, आवास आदि की व्यवस्था करना।

11. संस्था जनता के लिए शैक्षिक, सामाजिक, रचनात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए शिक्षा संस्थाओं व स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना।

12. संस्था वेदों, पुराणों, उपनिषदों तथा अन्य साहित्यों के माध्यम से समाज में व्यस्त कुरीतियों को जगह-जगह उपदेशों द्वारा समाप्त करेगा और राष्ट्र के उत्थान हेतु नई दिशा प्रदान करेगा ताकि भविष्य जनमानस काउज्ज्वल रहें।

13. महात्मा गाँधी विचार धारा के अन्तर्गत अहिंसा का प्रचार करना तथा मद्य निषेध कार्यक्रम को संचालित करना।

14. शराब खोरी व अन्य नशीले पदार्थों के विरूद्ध प्रचार करना तथा मद्य निषेध कार्यक्रम को संचालित करना।

15. संस्था द्वारा केन्द्रीय सरकार की समस्त योजनाओं की केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की समस्त योजनाओं को तथा सरकार लीगल एक योजना के तथा

राज्य सरकार व समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार व मानव संसाधन व विकास मंत्रालय को तथा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की समस्त योजनाओं को संचालित किया जायेगा। संस्था द्वारा विदेशी ग्रान्ट हेतु नियमानुसार आवेदन किया जायेगा।

16. राष्ट्र के जन–मानस को नई दिशा प्रदान करने हेतु साहित्य रूप में (जैसेः– कविता, कहानी, पद, दोहे इत्यादि) महान ग्रन्थ की रचना की जायेगी साथ ही साथ भजन–कीर्तन द्वारा हिन्दू धर्म का प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इससे धर्म से विचलित समाज पुनः एक बार किस किस धर्म की ओर प्रशस्त होगा।

17. पर्यावरण से संबंधित समस्त कार्यों पर प्रचार–प्रसार करना तथा नियमानुसार सरकार से सहायता प्राप्त करना।

18. प्रदूषण की रोकथाम करने हेतु गोष्ठियों अनेकों प्रकार के अत्याचारों की रोकथाम करना। दहेज विरोधी कार्यक्रमों को संचालित करना। महिलाओं को परिवार कल्याण का परामर्श देना।

19. संस्था ने जनता के लिए शैक्षिक, सामाजिक, रचनात्मक, साहित्य, वैज्ञानिक, धमार्थ समिति, पंचायत उन्नयन, ग्राम विकास, विज्ञान–कला व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए चलचित्र प्रशिक्षण का आयोजन करेगी इसके साथ ही साथ यांत्रिक आविष्कारों का आयोजन करेगी।

20. कृषि जगत में आने वाली सभी उपकरण सभी आवश्यक आवश्यकता (बीज कीटनाशक दवा, उपजाऊ खाद, अनाज की रख रखाव संबंधी दवा, फल वृक्ष फूल इत्यादि की सुरक्षा उत्पादकता तथा जमीन की सुरक्षा सम्बन्धी सभी उपकरण व दवा की व्यवस्था करना।

21. कृषि जगत में आने जाने सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्य करना।

22. अन्य ऐसे कार्य करना जो सोसाइटीज रजि० ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत मान्य होते हैं।

<u>संस्था हेतु आय प्राप्तिः–</u>

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग, वित्तीस संस्थाओं, भारत सरकार, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड / आयोग, खादी ग्रामोद्योग, निदेशालय, मानव संसाधन विकास, मंत्रालय, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्थानीय इकाई संस्थाओं एवं नागरिकों से आर्थिक सहायता, ऋण, अनुदान, चन्दा, दान, जमानतें, चल एवं अचल सम्पत्ति प्राप्त करना।

5. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनकी संस्था के इस स्मृति–पत्र तथा नियमों के अनुसार संस्था का कार्य भार सौंपा गया:–

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती बेबी	श्री रामानुज	ग्राम–बाहरपुर, सोरॉव, इलाहाबाद	अध्यक्ष	समाजसेविका
2.	श्री योगेश शुक्ला	श्री राम शंकर शुक्ला	242/52सी/2, जोंधवल तेलियरगंज, इलाहाबाद।	उपाध्यक्ष	समाजसेवक
3.	श्री रामानुज शुक्ल	स्व0 राम कुमार शुक्ल	ई–36, शान्तीपुरम् फाफामऊ, इला0	सचिव/ निदेशक/ प्रबन्धक	वकालत
4.	श्री प्रवीन त्रिपाठी	श्री आर0एस0 त्रिपाठी	705के, ललित नगर कालोनी,इलाहाबाद।	सदस्य	समाजसेवक
5.	सरिता	श्री कमला शंकर	कल्यानपुर, थाना मऊआइमा, इला0	सदस्या	समाजसेविका
6.	श्री सन्तोष कुमार ओझा	श्री आर0एन0 ओझा	175, तेलियरगंज, इलाहाबाद	सदस्य	समाजसेवक
7.	श्री आशीष कुमार	डा0 एस0सी0 गुप्ता	168, दरभंगा कालोनी, इलाहाबाद	सदस्य	समाजसेवक
8.	श्री छोटे लाल	श्री रामदीन	137ए/2, चुंगी चौकी तेलियरगंज, इलाहाबाद	सदस्य	समाजसेवक
9.	मो0 चाँद	मो0 असलम	होलागढ़, इलाहाबाद	सदस्य	अधिवक्ता

5. यह कि हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता करते हैं कि हमने इस स्मृति पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि0एक्ट–21 सन् 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है।

छोटेलाल

मो० –चाँद

नियमावली

1. संस्था का नाम : उपकार फाउन्डेशन।
2. संस्था का पता : ई–36, शान्तिपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्यक्षेत्रः "सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश"।
4. संस्था के उद्देश्यः स्मृति–पत्र के अनुसार।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः–

(अ) आजीवन सदस्यः–

संस्था को 11000/– रूपया मुस्त नगद दान स्वरूप प्रदान करने वालों को संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

(ब) विशिष्ठ सदस्यः–

जो व्यक्ति संस्था में समाज द्वारा सम्मानित व राष्ट्र द्वारा उपाधि पाने वाले को संस्था में विशिष्ट सदस्य बनाया जायेगा।

(स) संरक्षक सदस्यः–

संस्था की उन्नति के लिए जो व्यक्ति 51,000/– रूपये नगद या इससे अधिक मूल्य की अचल सम्पत्ति दान स्वरूप प्रदान करने वालों को संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा।

(द) संस्थापक सदस्यः–

संस्था का निर्माण करने वाले श्री रामानुज शुक्ल पुत्र स्व0 राम कुमार शुक्ल निवासी–ई–36, शान्तीपुरम्, फाफामऊ, इलाहाबाद (उ0प्र0) आजीवन संस्थापक बने रहेंगे।

साथ ही साथ संस्था के समस्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण निर्णय इनकी सहमति से ही हो सकेंगे ये प्रबन्ध समिति में मुख्य पदाधिकारी के रूप में अनिवार्य रूप से आजीवन बने रहेंगे और नियमानुसार संस्था में अपना दायित्व निभायेंगे।

(य) सामान्य सदस्यः–

जो व्यक्ति संस्था के विकास के लिए कार्य करेंगे उन्हें संस्था में प्रतिवर्ष जनवरी माह में 1 51/– रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क रूप में एक ही बार में अदा करने वालों को ही सामान्य सदस्य बनाया जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्तिः–

मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया होने पर, कोढ़ी होने पर किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, नियमानुसार सदस्यता शुल्क न अदा करने पर, संस्था के नियमों का पालन न करने पर, लगातार तीन बैठकों में किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थिति रहने पर त्याग–पत्र स्वीकार होने पर, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगा।

7. संस्था के अंगः–

संस्था के दो अंग होंगेः–

(अ) साधारण सभा।

(ब) प्रबन्ध कारिणी समिति।

8. साधारण सभाः–

(अ) गठनः– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

(ब) बैठकेंः– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

(स) सूचना की अवधिः–

साधारण सभा की सामान्य बैठकों को 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों को तीन दिन पूर्व सूचना देकर भी बुलाया जा सकता है।

(द) गणपूर्तिः–

साधारण सभा की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या–2/3 की उपस्थिति आवश्यक होगी, किन्तु कोरम अभाव में स्थगित बैठकों की दो घंटे बाद पुनः आहूत करने पर कोरम प्रतिबंध न होगा, लेकिन एजेण्डा के विषय पूर्व ही रहेंगे।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथिः–

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष की समाप्ति पर किया जायेगा। जिसकी तिथि प्रबन्ध समिति द्वारा तय की जायेगी।

(र) साधारण सभा के कर्तव्यः–

1. पाँच वर्ष हेतु प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
2. वार्षिक आय–व्यय/बजट को पारित करना।
3. नियमों व विनियमों में 3/5 सदस्यों के बहुमत से संशोधन कार्यवाही करना।

9. प्रबन्धकारिणी समितिः–

(अ) गठनः– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था के सभी सदस्य मिलकर साधारण सभा की बैठक में गुप्त मतदान द्वारा बहुमत से करेंगे। जिसमें संस्थापक के अतिरिक्त एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक मंत्री/सचिव, एक कोषाध्यक्ष तथा 6 सदस्य इस प्रकार कुल मिलाकर 9 व्यक्तियों की प्रबन्धकारिणी समिति होगी।

(ब) बैठकें:– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकें वर्ष में तीन बार व विशेष बैठकों को आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाया जा सकता है।

(स) सूचना की अवधिः–

प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों को सात दिन पूर्व व विशेष बैठकों को 24 घंटों की पूर्व की सूचना देकर ही बुलाया जा सकता है।

(द) **गणपूर्तिः–**

प्रबन्धकारिणी समिति की सभी प्रकार की बैठकों के लिए कुल सदस्य संख्या की 2/3 की उपस्थिति आवश्यक होगी, किन्तु स्थगित बैठकों को आहूत करने पावर कोरम प्रतिबन्ध न होगा।

(य) **रिक्त स्थानों की पूर्तिः–**

प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति साधारण सभा चुनाव द्वारा बहुमत से शेष कार्य–काल के लिए किया जायेगा।

(र) **कार्यकालः–**

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्य काल पाँच वर्ष का होगा।

(ल) **प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्यः–**

1. संस्था का प्रबन्ध कार्य करना।
2. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित करना।
3. वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर इनको लागू करना।
4. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर नियंत्रण रखना।
5. उपसमितियों के उपनियमों को बनाना और उनके पदाधिकारियों को नियुक्त करना।
6. संस्था के विवादों को सुलझाना।

7. संस्था के विकास हेतु प्रयास करना।

8. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

9. संस्था के कार्य का निरीक्षण करना।

10. संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्कासित करना।

11. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्त्तव्यः–

(अ) संस्थापकः–

1. संस्था के सभी पदाधिकारी व सदस्यों का नियंत्रण रखते हुए [illegible]

2. संस्था समस्त आय, चल व अचल सम्पत्ति का नियंत्रण रखते हुए अपने अधिकार में रखना।

3. संस्था संबंधित समस्त अभिलेखों को अपनी सुरक्षा में रखना।

4. किसी सदस्य पर आरोप सिद्ध हो जाने पर नियमावली की धारा–5 के अनुसार कार्यवाही करना।

5. संस्था से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना।

6. प्रबन्ध समिति द्वारा अनुमोदित त्याग–पत्र को स्वीकार करना।

7. संस्था की ओर से समस्त बिलों, बाउचरों पर हस्ताक्षर करना।

Yogesh Shukla

Ashish

8. प्रबन्ध समिति द्वारा संचालित कार्यों पर विचार कर अपना अनुमोदन प्रदान करना।

9. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना, पदोन्नति करना तथा निष्कासित करना।

10. संस्था के विकास में अपना योगदान देना।

11. समस्त कानूनी कार्यवाहियों को संचालित करना।

12. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ऋण, अनुदान, चन्दा, दान आदि प्राप्त करना।

(ब) अध्यक्षः–

1. संस्था की सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता स्वीकार करना।

2. प्रस्ताव आदि रखने की अनुमति प्रदान करना तथा सदस्यों की सदस्यता शुल्क प्राप्त कर उनको रसीद देना।

3. समय–समय पर संस्था के कार्यों पर निरीक्षण करना और [illegible]

4. [illegible] पर अपने एक निर्णायक मत का प्रयोग करना।

5. बैठकों में शांति व्यवस्था कायम रखना।

6. बैठकों आदि की तिथियों का अनुमोदन करना।

7. संस्था की ओर से समस्त प्रकार के पत्र व्यवहार करना।

8. अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति निलम्बन पदोन्नति वेतन वृद्धि वितरण एवं पदच्युत करना, संस्थापक के अनुमोदन से।

9. संस्था के विकास में अपना योगदान देना तथा मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करना।

(स) उपाध्यक्षः–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना।

(द) सचिव / निदेशक / प्रबंधकः–

1. संस्था की समस्त प्रकार की बैठकों को सम्पादित करना।

2. बैठकों की कार्यवाहियों की लिपिबद्ध करना।

3. वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार कर प्रबन्ध समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

4. वार्षिक आय–व्यय को साधारण सभा द्वारा पारित करना।

5. संस्था के विकास हेतु सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना।

6. संस्था की अनुमति के अनुसार ही संस्था का संचालन, प्रबन्ध व प्रसार कार्य करना।

7. वार्षिक आय–व्यय का विवरण तैयार करना।

8. आय–व्यय संबंधी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।

5. लेजर।

6. बाउचर, फाइल व अन्य समय–समय पर आवश्यकतानुसार।

16. **संस्था का दायित्वः–**

संस्था खादी/ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग एवं ग्रामोद्योग निदेशालय या अन्य किसी वित्तीय संस्थानों से जो भी आर्थिक सहायता/ऋण प्राप्त करेगी उसके लिए संस्था अपनी या अपने सदस्यों की अथवा अपने किसी एक सदस्य को अचल सम्पत्ति का सम्यक् बन्धक करेगी।

प्राप्त ऋण की अदायगी की जिम्मेदारी संस्था के प्रत्येक सदस्य की सामूहिक होगी (संस्थापक को छोड़कर) यदि कोई सदस्य इस बीच संस्था से त्याग–पत्र भी देता है तो ऋण की अदायगी का उत्तरदायित्व उसका तब तक रहेगा। जब तक सम्पूर्ण ऋण की अदायगी नहीं हो पायेगी और संबंधित संस्था उद्देयता का प्रमाण पत्र नहीं दे देगा।

17. **विघटनः–**

संस्था से विघटन और विवादित सम्पत्ति निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजि0 एक्ट अधिनियम की धारा–13 एवं 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

सत्यप्रतिलिपि

दिनांकः 29-05-2008